भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1469
उत्तर देने की तारीख 12.02.2026

मिथिला चित्रकला और कलाओं का संरक्षण

1469. श्रीमती धर्मशीला गुप्ता :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिथिला चित्रकला, टिकुली और मंजूषा कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में इन योजनाओं के अंतर्गत कितने कलाकारों को प्रशिक्षण या आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इन पारंपरिक लोक कलाओं के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (ईजेडसीसी), कोलकाता (संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन) ने बिहार राज्य की भित्ति चित्र कला (मिथिला), टिकुली कला और मंजूषा चित्रकला (मिथिला) के संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम के अंतर्गत ईजेडसीसी द्वारा बिहार के लगभग 373 कलाकारों को प्रशिक्षण या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन, ललित कला अकादमी (एलकेए) और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों को समकालीन, पारंपरिक, लोक और जनजातीय कलाकृतियों के उनके संग्रहों को परिरक्षित करने के उद्देश्य से दृश्य कलाओं के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने और

उनका प्रसार करने का अधिदेश दिया गया है। सभी कलाकृतियों को अच्छी स्थिति में परिरक्षित किया जाता है और रिकॉर्डों का रखरखाव डिजिटल रूप में किया जाता है।

एलकेए द्वारा कला संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनका गठन और नियंत्रण सरकारी कलाकार एसोसिएशनों, स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों में ललित कला संकायों, कला महाविद्यालयों और विद्यालयों, कला दीर्घाओं द्वारा किया जाता है जो दृश्य कला के किसी प्रकार/रूप के विभिन्न आयामों में उन्हें बढ़ावा, सहायता देते हैं तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु मंच उपलब्ध कराते हैं। एलकेए केवल उन पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करती है जो तीन वर्ष से अधिक समय से सक्रिय हैं। शिविरों, कार्यशालाओं, आवासीय कार्यक्रमों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, एकल प्रदर्शनियों सहित अंतरराष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिए और दृश्य कला एवं कलाकारों से संबंधित किसी प्रचारात्मक कार्यकलाप के उद्देश्य से अधिकतम 1,05,000/- रुपए की पुरस्कार राशि या 21,000/- रुपए प्रति पुरस्कार की दर से अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रचारात्मक कार्यक्रमों के लिए कला संगठनों को 5.00 लाख रुपए प्रदान किए जा सकते हैं जिसे विशेष मामलों में 10.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

एलकेए ने मधुबनी, बिहार में जन जननी जन्मभूमि शिविर आयोजित किया जिसमें लगभग 80 महिला कलाकारों और 25 पुरुष कलाकारों ने भाग लिया। इनमें से कई सहभागी कलाकार बिहार क्षेत्र से थे। अकादमी ने कलाकारों को अनुमोदित मानदंडों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, अकादमी द्वारा नियमित रूप से शिविरों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है और बिहार से कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है ताकि उन्हें दृश्य कलाओं को बढ़ावा देने हेतु अनुभव और अवसर प्रदान किए जा सके।

उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने मिथिला और तिकुली चित्रकला के कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित करते हुए उनके योगदान को मान्यता दी है:

- बउआ देवी (2017): कागज और कैनवास पर मिथिला कला बनाने वाली पहली कलाकार।
- गोदावरी दत्ता (2019): यह ब्रश का उपयोग न करके, अपने महीन काम में अंगुलियों, टहनियों और निब-पेन का इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती हैं।
- दुलारी देवी (2021): एक प्रसिद्ध कलाकार जिनकी कला उनकी जीवन यात्रा और ग्रामीण विषयों को प्रतिबिंबित करती है।

- सुभद्रा देवी (2023): यह पारंपरिक मधुबनी कला में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है।

- शांति देवी पासवान (2024): मिथिला चित्रकला की गोदना शैली (टैटू से प्रेरित) में निपुणता के लिए सम्मानित।

- श्री अशोक कुमार बिस्वास (2024): बिहार के एक प्रख्यात लोक कलाकार जिन्हें तिकुली चित्रकला को पुन: प्रचलित करने और बढ़ावा देने में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया।

(ग): ईजेडसीसी द्वारा बिहार राज्य में नियमित अंतराल पर इन पारंपरिक लोक कलाओं के संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि इन्द्रधनुष (बेंचमार्क महोत्सव जिसमें लोक एवं जनजातीय कलाओं की प्रस्तुतियां पेश की जाती हैं) का मंचन, लोक रंग (लोक रंगमंच महोत्सव), लोक उत्सव, भिखारी ठाकुर जयंती, झूलन पर्व, राम लीला, कृष्ण लीला, गाथा गायन (लोक वाचिक परंपरा), आदि बिम्ब (जनजातीय कलाओं का महोत्सव), छठ पर्व, संत रविदास जयंती, गुरु नानकदेव जी की 550वीं जयंती का समारोह और कार्यशालाओं का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है।

गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम के अंतर्गत, एक मान्यताप्राप्त विशेषज्ञ (गुरु) द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान अंतरित किया जाता है। गांवों में नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ताकि अधिक से अधिक शिष्य इन स्कीमों से लाभान्वित हो सकें। गुरुओं और शिष्यों, दोनों को ईजेडसीसी की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

ईजेडसीसी द्वारा क्षेत्रीय, राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से इन कला रूपों के साधकों को मंच प्रदान किया जाता है।

ईजेडसीसी द्वारा महान गुरुओं के कार्यों को परिरक्षित करने हेतु प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों रूप में प्रलेखन किया जाता है। शिक्षण कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों/सम्मेलनों और कला को गांवों से निकालकर बाहरी दुनिया तक ले जाने के लिए मास्टर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिससे विभिन्न कलाकारों/कारीगरों हेतु आजीविका के सतत साधन सुनिश्चित होते हैं।

संस्कृति मंत्रालय अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से देश में राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) आयोजित करता है जिनमें बिहार राज्य सहित पूरे भारत से अनेक लोक/जनजातीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है जो इस कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। अब तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर में 14 आरएसएम और 04 क्षेत्रीय स्तर के आरएसएम आयोजित किए गए हैं।

संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एनसीजेडसीसी) के माध्यम से 2025 में महाकुंभ के दौरान कलाग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम स्थापित किया था। महाकुंभ के दौरान अनेक मंचों पर 14,632 कलाकारों ने प्रस्तुति दी।

एलकेए द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर पारंपरिक, लोक और दृश्य कला रूपों से संबंधित शिविर, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं जिसके द्वारा कलाकारों को इन कला रूपों को संवर्धित और प्रदर्शित करने हेतु मंच प्रदान किए जाते हैं। ललित कला अकादमी आर्ट गैलरीज द्वारा दिल्ली में स्थित एलकेए मुख्यालय और लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, अगरतला और गढ़ी (नई दिल्ली) में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में कलाकारों को प्रदर्शनी स्थल उपलब्ध कराया जाता है।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर सतत रूप से भारत की छवि को संवर्धित करने के लिए "वैश्विक भागीदारी स्कीम" नामक स्कीम भी कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय कला रूपों में अभ्यासरत कलाकारों को 'भारत महोत्सव' के बैनर के अंतर्गत विदेशों में प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक रंगमंच और कठपुतली कला, शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य, प्रायोगिक/समकालीन नृत्य, शास्त्रीय/अर्धशास्त्रीय संगीत, रंगमंच आदि जैसे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों के कलाकार विदेशों में 'भारत महोत्सव' में प्रस्तुतीकरण देते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने विदेश में आयोजित होने वाले भारत महोत्सवों में प्रस्तुति देने के लिए विभिन्न कला रूपों के अंतर्गत 627 कलाकारों/समूहों को पैनलबद्ध किया है।

संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन, संगीत नाटक अकादमी (एसएनए) पूरे देश में महोत्सव आयोजित करता है और मंच कलाओं में शोध, प्रलेखन और प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। एसएनए संगोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन करता है एवं आर्थिक सहायता प्रदान करता है और अपने श्रव्य-दृश्य अभिलेखगार के लिए मंच कलाओं को रिकॉर्ड भी करता है।

एसएनए द्वारा महोत्सव, कार्यशाला एवं प्रदर्शनी भी आयोजित किए जाते हैं जिसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर शास्त्रीय, पारंपरिक, जनजातीय और भारतीय मंच कलाओं के अन्य रूपों को प्रस्तुत करने हेतु अभिकल्पित किया गया है ताकि लाइव अभ्यास में कला परंपरा को परिरक्षित किया जा सके और प्रस्तुति एवं कार्यशाला, संगीत महोत्सवों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं प्रदर्शनियों आदि के आयोजन/सहायता के माध्यम से तकनीक और रचनात्मक प्रक्रिया को विकसित किया जा सके। इस अकादमी ने उत्कृष्ट योग्यता वाले कलाकारों सहित कई अज्ञात और दुर्लभ कला रूपों को प्रसिद्धि दिलाई है।

2013 से, अकादमी द्वारा देश के लोक एवं जनजातीय संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में कलाकारों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में 'देशज' नामक महोत्सवों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है।

एसएनए में "सर्वेक्षण, शोध, प्रलेखन, प्रसार एवं प्रकाशन" नामक स्कीम है जिसके अंतर्गत विभिन्न कला रूपों की रिकॉर्डिंग को शोध और प्रसार के उद्देश्य से परिरक्षित किया जाता है। उक्त स्कीम के अंतर्गत, अकादमी द्वारा व्यक्तियों और कला संस्थाओं को देश के लोक और जनजातीय कला रूपों के शोध कार्य और प्रलेखन के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
